उत्तराखण्ड सीडस एण्ड तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0
पन्तनगर, पो0–हल्दी, जिला–उधमसिंहनगर

पत्रांक / बी0नि0 / 02 / यात्रा भत्ता नियम / 2203
दिनांक / जुलाई 13 , 2010

कार्यालय आदेश

निदेशक मण्डल की 204वीं बैठक दिनांक 30.6.2010 में उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वि0आ0– सा0नि0) अनुभाग–7 के द्वारा जारी शासनादेश कार्यालय ज्ञाप संख्या 78/XXVII(7)/2009 दिनांक मार्च 01, 2009 संशोधित शासनादेश कार्यालय ज्ञाप संख्या 100 / 78/XXVII(7)/2009 दिनांक मार्च 31, 2009 एवं संशोधित शासनादेश कार्यालय ज्ञाप संख्या 411/XXVII(7)/2010 दिनांक जनवरी 06, 2010 के अनुरूप पुनरीक्षित यात्रा भत्ता की दरों एवं नियमों को दिनांक 30.06.2010 से निगम में लागू करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नवत् प्रदान कर दी गयी है। दिनांक 29 जून 2010 तक की यात्राओं के सापेक्ष प्रस्तुत यात्रा भत्ता बीजकों का भुगतान / समायोजन पूर्व निर्धारित यात्रा भत्ता दरों एवं नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। यात्र भत्ता सम्बन्धी अन्य मूलभूत नियम / सिद्धान्त पूर्ववत ही रहेंगे।

(1) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ निगम कर्मियों की अधिकृत श्रेणी

(i) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ निगम कर्मी अब नये वेतनमान में वायुयान, रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे।

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	अधिकृत श्रेणी
ग्रेड पे रू0 12000 तथा HAG + व उच्च	वायुयान का बिजनेस क्लास अथवा रेल का ए.सी. प्रथम श्रेणी / शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रू0 10000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8900 के समस्त पदधारक।	वायुयान का इकोनोमी क्लास अथवा रेल का ए.सी. प्रथम श्रेणी / शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रू0 5400, 6600, 7600, 8700	रेल का ए.सी. टू टियर / प्रथम श्रेणी / शताब्दी एक्सप्रेस का चेयरकार
ग्रेड वेतन रू0 4200, 4600 व 4800	रेल का ए.सी. थ्री टियर / प्रथम श्रेणी / ए.सी. चेयरकार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)
ग्रेड पे 4200 से कम	रेल का स्लीपर क्लास

जो स्थान रेल से जुड़े न हों :– ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु अधिकृत निगम कर्मी ए.सी. बस से यात्रा कर सकते हैं / अन्य को डीलक्स / साधारण बस यात्रा हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

जो स्थान रेल से जुड़े हों :– रेल के अलावा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट के अन्य माध्यमों से भी यात्रा की जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध, यह होगा कि किराया अनुमन्य रेल किराये से अधिक न हो।

यात्रा भत्ता देयक के साथ मूल टिकट / उसकी प्रति / टिकट संख्या संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(ii) आनुषांगिक व्यय :–

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (1) के अन्तर्गत निगम कर्मियों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषांगिक व्यय निम्न प्रकार से अनुमन्य होगा :–

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	आनुषांगिक व्यय की दरों प्रति किमी0
ग्रेड पे रू0 8900, 10000, 12000 तथा HAG + व उच्च	50 पैसे
ग्रेड वेतन रू0 4200, 4600, 4800, 5400, 6600, 7600 व 8700	35 पैसे
ग्रेड पे 4200 से कम	20 पैसे

वायुयान से की जाने वाली यात्राओं हेतु आनुषांगिक व्यय रू0 50.00 प्रति यात्रा की दर से दिया जा सकता है।

(ii) **दैनिक भत्ता :–**

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (जी) (1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगीः–

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
ग्रेड पे रू0 8900, 10000, 12000 तथा HAG + व उच्च	रू0 350	रू0 250	रू0 200
ग्रेड वेतन रू0 4800, 5400, 6600, 7600 व 8700	रू0 250	रू0 190	रू0 160
ग्रेड पे 4600 तथा उससे कम ग्रेड वेतन	रू0 150	रू0 120	रू0 100

उपरोक्त तालिका के द्वितीय कालम में उल्लिखित नगरों में रू0 5400 अथवा अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले निगम कर्मियों को होटल/अन्य संस्थान में ठहरने व स्थनीय यात्रा हेतु निम्न दरों से प्रतिपूर्ति की जा सकती हैः–

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	प्रतिपूर्ति दर
ग्रेड पे रू0 8900, 10000, 12000 तथा HAG + व उच्च	रू0 1000
ग्रेड वेतन रू0 5400, 6600, 7600, 8700	रू 750

यात्रा भत्ता देयक के साथ उक्त व्यय का मूल बाउचर संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु निम्नानुसार धनराशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	होटल/गेस्ट हाउस में अवस्थान करने पर दैनिक भत्ता	स्वयं की व्यवस्था पर दैनिक भत्ता
ग्रेड वेतन रू0 12000 तथा HAG + व उच्च	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 5000/– प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर 50 किमी0 तक की यात्रा हेतु ए.सी. टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 500/– प्रतिदिन भोजन का बिल।	रू0 700/–प्रतिदिन, नगर के अन्दर 50 किमी0 तक की यात्र हेतु ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति।
ग्रेड वेतन रू0 10000व 8900	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 3000/– प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर 50 किमी0 तक की यात्रा हेतु , नॉन ए. सी. टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 300/– प्रतिदिन भोजन का बिल।	रू0 600/–प्रतिदिन, नगर के अन्दर 50 किमी0 तक की यात्र हेतु नॉन ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति।
ग्रेड वेतन रू0 5400, 6600, 7600, 8700	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 1500/– प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर यात्रा हेतु 150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 200/– प्रतिदिन भोजन का बिल।	रू0 450/– प्रतिदिन नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति।
ग्रेड वेतन रू0 4800 से रू0 4200	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 500/– प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर यात्रा हेतु 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 150/– प्रतिदिन भोजन का बिल।	रू0 350/– प्रतिदिन नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति।
ग्रेड वेतन रू0 4200 से कम	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 300/– प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर यात्रा हेतु 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 100/– प्रतिदिन भोजन का बिल।	रू0 200/– प्रतिदिन नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति।

नोटः– यात्रा भत्ता की दरों को संशोधित शासनादेश सं0 411/XXVII(7)/2010 दिनांक जनवरी 06, 2010 के तहत पुनरीक्षण होने पर ग्रेड पे रू0 12000, रू0 10000 एवं रू0 8900 के पद धारकों को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता शहरों हेतु, शहर के अन्दर टैक्सी पर वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि की अनुमन्यता होगी। राज्य के बाहर उक्त शहरों से भिन्न शहरों हेतु टैक्सी का एक दिन का वास्तविक व्यय 80 किमी0 की सीमा में अनुमन्य होगा।

निःशुल्क आवास अथवा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते की दर सामान्य दर के 25 प्रतिशत के बराबर रखी जायेगी।

(iv) सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिये सड़क मील भत्ता :–

निगम कर्मियों को सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (बी) (2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। निगम कर्मियों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता पूर्व निर्धारित दरों का डेढ़ गुना अनुमन्य होगा। अतः उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में निगम में लागू दरें निम्नवत् संशोधित की जाती हैं।

रू0 प्रति किमी0

(क)		पेट्रोल चलित वाहन	डीजल चलित वाहन
	मोटरकार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से प्रतिमाह की गयी सड़क यात्राओं के लियेः		
1	प्रथम 500 किमी0 तक तय की गयी दूरी के लिये	6.75	5.25
2	500 किमी0 से अधिक परन्तु 1200 किमी0 तक तय की गयी दूरी के लिये	4.88	4.13
3	1200 किमी0 (एक माह) से अधिक तय की गयी दूरी के लिये	शून्य	
ख	उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चलित अन्य वाहनों तथा मोटरसाईकिल/स्कूटर इत्यादि से की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रू0 3.00 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रू0 600 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।	
ग	पेट्रोल/डीजल चलित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए।	रू0 0.90 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रू0 180 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।	

(iv) स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें :–

घरेलू सामान की ढुलाई :–

निगम कर्मियों को उनके स्थानान्तरण पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 42 (2) (1) (111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। निगम कर्मियों को उनके नये पुनरीक्षित वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जायेगी।

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रू0 7600, 8700,8900, 10000, 12000 तथा HAG + व उच्च	6000 किमी0/चार पहिये का एक बैगन/एक डबल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रू0 4200, 4600, 4800, 5400, 6600	6000 किमी0/चार पहिये का एक बैगन/एक सिंगल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रू0 2800	3000 किग्रा0
ग्रेड वेतन रू0 2800 से कम	1500 किग्रा0

स्थानान्तरण पर निगम कर्मी सामान्यतः अपने घरेलू सामान की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं। प्रदेश के एक बड़े भू–भाग में रेल सेवायें उपलब्ध भी नहीं हैं। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की ढुलाई हेतु 30 पैसे प्रति किमी0 प्रति कुन्तल की दर से अनुमन्य होगा।

एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान :–

वर्तमान में अनुमन्य दरों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैः–

(अ) जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण की दशा में पैकिंग भत्ता की दर ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत।
(ब) एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण की दशा में एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दर ग्रेड वेतन के दो गुना के बराबर रखी जाती है। HAG + व उच्च वेतनमान के अधिकारियों हेतु इसकी दर रू0 24000 रखी जाती है।

नोटः—उपरोक्त पुनरीक्षित यात्रा भत्ता नियम छठे वेतनमान के आधार पर है, जिसमें यात्रा भत्तों का भुगतान ग्रेड पे के आधार पर ही किया जाना है। अतः यात्रा भत्ता बीजक तैयार करते समय बेसिक पे के स्थान पर अनुमन्य ग्रेड पे का उल्लेख अवश्य किया जाय, ताकि तद्नुसार भुगतान/समायोजन किया जा सके।

2 फिक्सड् (स्थायी) यात्रा भत्ता, प्रक्षेत्र निरीक्षण के कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को अपनी मोटर साईकिल/स्कूटर द्वारा प्रक्षेत्र निरीक्षण किये जाने के सापेक्ष दी गयी स्वीकृति के अनुसार दिनांक 30.06.2010 से निम्नवत् पुनरीक्षित दरों एवं नियमों पर भुगतान करने की स्वीकृति निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान कर दी है।

1 प्रथम 500 किमी0 तक की निजी मोटर साईकिल/स्कूटर से की गयी यात्रा हेतु	रू0 3.00प्रति किमी
2 प्रथम 501से 700 किमी0 तक की निजी मोटर साईकिल/स्कूटर से की गयी यात्रा हेतु	रू0 2.75 प्रति किमी
3 प्रथम 701से 750 किमी0 तक की निजी मोटर साईकिल/स्कूटर से की गयी यात्रा हेतु	रू0 2.50 प्रति किमी

3 निगम के निदेशकों को अनुमन्य पुनरीक्षित सीटिंग फीस व सड़क मील भत्ता

1. निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लेने पर सीटिंग फीस	रू0 1500.00
2. निगम के द्वारा आहूत उप समिति की बैठक में भाग लेने हेतु सीटिंग फीस।	रू0 750.00

सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता निम्नवत् संशोधित किया जाता है। रू0 6.75 प्रति किमी0 निगम हित में किसी भी प्राविधान को शिथिल/पुनरीक्षित करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

ह0/—

(एम0 सी0 उप्रेती)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि/निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष।
2. समस्त प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय।
3. समस्त प्रभारी, बीज विधायन संयंत्र।

आज्ञा से

ह0/—

(एम0के0 शर्मा)
संयुक्त मुख्य वित्तीय अधिकारी